


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(27/18)/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती पुष्पा कुमारी गर्ग, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही (जिला सिरोही) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 26.12.2017 से 25.12.2019 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 26.12.2019 से 23.02.2020 तक 60 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 24.02.2020 से 25.12.2020 तक 306 दिवस का असाधारण अवकाश।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(27/18)/2018/ 1237

दिनांक:- 08/06/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालौर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही (जिला सिरोही)।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर